

11-12-19 वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते पत्रावली तलब करने बाबत प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गयी। वादी द्वारा दावा विद्वा करने की स्वीकृति देने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर वादी को सुना गया एवं प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण को वादी गलत ढंग से किये गये राजीनामा के आधार पर चलाना नहीं चाहता है। इसलिये दावा विद्वा करने की स्वीकृति प्रदान करावे एवं दावा निरस्त परमाया जावे।

चूंकि वादी उक्त वाद को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वादी को वाद विद्वा करने की अनुमति दी जाती है।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

